कार्यालय रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर
ई–निविदा की शर्ते

पत्रांक : 11069 /आर०डी०ए० /2018–19 दिनांक : 21–01–2019

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य की निविदा दिनांक 23.01.2019 से दिनांक 06.02.2019 तक प्रातः 10.0 बजे से सांय 2.0 बजे एन0आईसी0 तक कार्यालय की ई–वेबसाइट www.e.tender.up.nic.in पर डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु www.e.tender.up.nic.in एवं रामपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.rdarampur@gmail.com पर निविदा देखी जा जा सकती है। ई निविदा दिनांक 05.02.2019 को Nic, रामपुर के कार्यालय में सांय 3.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। कार्य का विवरण व सामान्य शर्ते निम्नवत हैं :–

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्राकलित राशि रूपये (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा शुल्क (लाख में)	कार्य की अवधि
1	थाना–सिविल लाइन के सामने ले–बाई का निर्माण कार्य।	10.39	0.21	1135.00	02 माह

शर्ते :–

1. ई–निविदा शुल्क की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ई–निविदा के साथ धरोहर राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/डी0डी0 सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रख कर छायाप्रति अपलोड के पश्चात् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निविदा शुल्क के बिना निविदा मान्य नहीं होगी।
2. प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र क्रय करने होगें।
3. प्राधिकरण एवं सरकारी विभागों में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा ही निविदा डाली जा सकती है।
4. निविदादाता का निम्न रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं :– जैसे आयकर, जी0एस0टी0, सर्विस टेक्स, लेबर सैस।
5. जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्गत निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र जो गत् एक वर्ष से पूर्व का न हो।
6. जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्गत निविदादाता का हैसियत प्रमाण पत्र जो गत् एक वर्ष से पूर्व का न हो।
7. क्रमांक 3, 4 एवं 5 से सम्बन्धित छायाप्रतियां सत्यापित संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
8. निविदायें उपरोक्त वर्णित तालिका से सम्बन्धित कार्यों में अनुभव रखने वाले फर्म/ठेकेदार, जिसने पिछले 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य है।
9. सशर्त ई–निविदा मान्य नहीं होगी।
10. कोई निविदादाता, जिसका अपराधिक रिकार्ड हो उसे निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं हैं।
11. उपरोक्त समस्त कार्यों का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक वर्ष होगा।
12. निविदादाता स्वंय स्थल देख लें एवं सही स्थिति से सन्तुष्ट होने के बाद ही निविदा में दर अंकित करें।
13. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करो की कटौती निविदादाताओं के चलित देयक से की जायेगी।
14. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार उपाध्यक्ष, रामपुर विकास प्राधिकरण का होगा।
15. विशेष जानकारी के लिये रामपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय टेलीफोन सं0–0595–2352001 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
16. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, रामपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
17. उपरोक्त वर्णित कार्यो में प्रयोग होने वाले यन्त्र/संयन्त्र की व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय करना होगा।
18. कार्य BOQ में अंकित मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।
17. उपरोक्त वर्णित कार्यो में प्रयोग होने वाले यन्त्र/संयन्त्र की व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय करना होगा।
18. विकास कार्यो में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा की जायेगी, जिसपर आने वाला व्यय सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को वहन करना होगा।
19. जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

21.1.19

सचिव

रामपुर विकास प्राधिकरण